

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (झरु)

ब डूजलास पंकज गढ़वाल R.A.S.

काद संख्या - 12/2015

निर्णय दिनांक - 19.2.2021

हेमराज उर्फ हेमा पुत्र शमोकरण जाति ब्राह्मण निवासी गवालीसर तहसील राजगढ़ जिला झरु (मृतक दौराने दत्त)

- ॥1 सुरेन्द्रशर्मा } पुत्रगण हेमराज
॥2 चन्दनशर्मा }
॥3 सिलोचना } पुत्रियां हेमराज
॥4 पार्वती }

॥5 वैदवती पत्नी हेमराज

जाति समस्त ब्राह्मण निवासीगण गवालीसर तहसील राजगढ़ जिला झरु
- वादीगण

बनाम

1. सोहन } पुत्रगण शमोकरण
2. मोहन }
3. लाधूराम पुत्र कनीराम
4. सुशीला पत्नी ताराचन्द
5. कैलाश पुत्र ताराचन्द
6. सुमन } पुत्रियां ताराचन्द
7. विद्या }
8. प्रमीला }
9. बाला }
10. पूजा }
11. प्रमेश्वरी पत्नी हेतराम
12. पुरुषोत्तम } पुत्रगण हेतराम
13. सुखराम }
14. लीलाराम }
15. रतनलाल }

गवालीसर तहसील राजगढ़ जिला झरु

16. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कनिराम

17. बादो पत्नी शमोनाथ

18. मुरलीधर

19. काशीराम

20. सन्तलाल

21. सुभाष

22. सरजीत

23. कृष्णकुमार

पुत्रगण शमोनाथ

24. सरबती पत्नी रामकुमार

25. सावंरमल - फौत

26. सनपत

27. युलीचन्द

पुत्रगण रामकुमार

28. नारायणी

29. कृष्णा

30. सन्तोष

31. समेरी

32. शारदा

33. भतेरी

पुत्रियाँ रामकुमार

जाति सम्पत्त आद्वण निवासी गवालीसर तहसील राजगढ़ जिला झरु

34. ओरिजनल बैंक ऑफ क्रॉमर्स शाखा राजगढ़ जरिह शाखा प्रबन्धक

35. तहसीलदार राजगढ़ (झरु)

- प्रतिवादीगण

वाद बाबत खाता निमाजन अन्तर्गत चार 53 R.T. Act.

उपस्थिति:-

1. श्री उममेदसिंह शनिषाँ हबबोकेर वास्ते वादी

2. एडवोकेट कार्यावाही प्रतिवादी सं. 187 34

3. परोकारराज वास्ते प्रतिवादी सं. 35

निर्णय

राज - यथास्थान के अनुसार निर्णय व रिक्वी की पालना में तहसीलदार

राजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्माण डिब्बी के अनुरूप ही तैयार कर पेश किया गया है जिस पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाड वार्डिंग स्वीकार कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान का निम्न प्रकार से छाता विभाजन किया जा रहा है।

1. हेमराज पुत्र श्योकराण जाति ब्राह्मण साधेदर खोतेदार (मृतक योगने दादा) सुरेन्द्र शर्मा, चन्दन शर्मा, सिलोचना, पार्वती पुत्र-पुत्री हेमराज, बेदवन्ती पत्नी हेमराज जाति ब्राह्मण निवासी गवालीसर खोतेदार के एक हिस्सा में खण्ड 287 रकबा 1.1129 हे० का. दौ. खण्ड 228 भी रकबा 1.0954 हे० का. दौ. किता 2 कुल रकबा 2.2083 हे० व. हि. व. रोही ग्राम गवालीसर तहसील सिधमुख जिला धरु नक्शा विभाजन प्रस्ताव में करंग लाल से दर्शाए अनुसार रहेगी। बाकी खोतेदार बकसतूर जमाबन्दी रकबा रहेगा। जिन पक्षकारान का हिस्सा बैंक कंस्ट्रुम है वह पचावत रहन रहेगा। देय मुदांक शुल्क भरा करने पर पचा डिब्बी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2021 को मेरे द्वारा लिखा जा कर सबे रजालास सुनाया गया।

el
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (धरु)